भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 752
दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन योजनाओं की समीक्षा

†752. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने लागत वृद्धि और क्रियान्वयन की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के बाद जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजनाओं का देशव्यापी निरीक्षण शुरू किया है;
(ख) यदि हाँ, तो निरीक्षण अभियान का ब्यौरा क्या है, जिसमें योजनाओं और शामिल जिलों की कुल संख्या और समीक्षा के दौरान मूल्यांकन किए जा रहे मानदंड शामिल हैं;
(ग) क्या सरकार के पास उक्त जेजेएम योजनाओं की संख्या का आंकड़ा है जहाँ वास्तविक लागत प्रारंभिक अनुमान से काफी अधिक है और यदि हाँ, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इसका ब्यौरा क्या है;
(घ) जेजेएम के अंतर्गत इसके प्रारम्भ से अब तक मूल अनुमानित परिव्यय कितना है और अब तक स्वीकृत योजनाओं की संचयी लागत कितनी है और व्यय वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित और स्वीकृत लागत वृद्धि की सीमा कितनी है; और
(ङ) सरकार द्वारा उक्त मिशन के अंतर्गत लागत दक्षता में सुधार, निविदा में पारदर्शिता और जलापूर्ति योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार ने चिह्नित किए गए जिलों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजनाओं के जमीनी निरीक्षण के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) नियुक्त किए हैं। सीएनओ द्वारा अब तक दौरा किए गए जिलों की सूची संलग्न है।

(ग) से (ङ): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर अनेक परियोजनाएं साथ-साथ कार्यान्वित की जाती हैं।

अत: ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के परियोजना-वार ब्यौरे भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

अगस्त 2019 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 2019-20 से 2023-24 तक जेजेएम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। आवंटित निधि की तुलना में, लगभग पूरी निधि का उपयोग किया गया है। दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन तथा रखरखाव पर ध्यान देने के साथ मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान वर्धित कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। तदनुसार, जेजेएम को बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ 2028 तक जारी रखने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित निविदाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय मानदंडों को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों की है। इसके अलावा, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि "इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) अनुबंधों को अंतिम रूप देते समय, निविदा दस्तावेजों में प्रासंगिक खंड शामिल किया जाना है जिसमें यह उल्लेख किया जाना है कि अनुबंध एजेंसी द्वारा निर्माण में उपयोग के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री में प्रासंगिक भारतीय मानकों का अनुपालन किया जाए।"

पूरे देश में जल जीवन मिशन की आयोजना और तीव्र कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें, *अन्य बातों के साथ-साथ,* संयुक्त विचार-विमर्श और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यपरिपूर्णता योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) को अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाओं/सम्मेलनों/वेबिनारों का आयोजन करना, प्रशिक्षण, ज्ञान का आदान-प्रदान करना, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दलों द्वारा क्षेत्रीय दौरे आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश; ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका और जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन की सुविधा के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान पर दिशानिर्देश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किए गए हैं। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 752 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला
1	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम
2		अन्नमय्या
3		काकीनाडा
4		वाईएसआर कडपा
5		पलनाडु
6		पश्चिम गोदावरी
7	अरुणाचल प्रदेश	पापुम पारे
8	असम	कामरूप
9		उदलगुरी
10	छत्तीसगढ़	मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी
11	गोवा	उत्तरी गोवा
12	गुजरात	अहमदाबाद
13		सुरेंद्रनगर
14		अमरेली
15		बनासकांठा
16		दाहोद
17		डांग
18		सूरत
19		वलसाड
20	हरियाणा	नूंह
21	हिमाचल प्रदेश	मंडी
22	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग
23	झारखंड	कोडरमा
24		पलामू
25		पाकुर
26		रांची
27		साहेबगंज
28	कर्नाटक	चिक्कमगलुरु
29		चित्रदुर्ग
30		यादगीर
31		बागलकोट
32		रायचूर
33		दक्षिण कन्नड़

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला
34		धारवाड़
35		हावेरी
36		मंड्या
37		रामनगर
38		हसन
39		तुमकुरु
40		विजयनगर
41		विजयपुरा
42		उडुपी
43	केरल	कोल्लम
44		कन्नूर
45		मलप्पुरम
46		कोट्टायम
47	केरल	कोझिकोड
48		त्रिशूर
49		अलाप्पुझा
50	लद्दाख	कारगिल
51	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा
52		श्योपुर
53		शिवपुरी
54		आलीराजपुर
55		धार
56		अशोकनगर
57		विदिशा
58		बड़वानी
59		छतरपुर
60		डिंडोरी
61		जबलपुर
62		मंडला
63		खरगोन (पश्चिम निमाड़)
64		मंदसौर
65		नीमच
66		रायसेन
67		सीहोर
68		रतलाम
69		रीवा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला
70		सतना
71		शाजापुर
72		सीधी
73		उज्जैन
74		पन्ना
75	महाराष्ट्र	छत्रपति संभाजीनगर
76		लातूर
77		नांदेड़
78	मणिपुर	इम्फाल पूर्व
79	मेघालय	दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स
80		पश्चिम गारो हिल्स
81	मिजोरम	आइजोल
82	नागालैंड	दीमापुर
83	ओडिशा	झारसुगुडा
84		रायगढ़
85		गजपति
86		बारगढ़
87		संबलपुर
88		कटक
89		जगतसिंहपुर
90		देवगढ़
91		जाजापुर
92		गंजम
93		कंधमाल
94	पुदुचेरी	कराईकल
95	पंजाब	पटियाला
96		फाजिल्का
97	राजस्थान	बारां
98		गंगापुरसिटी
99		हनुमानगढ़
100		झुंझुनूं
101		भीलवाड़ा
102		राजसमंद
103		बूंदी
104		दौसा
105		धौलपुर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला
106		डूंगरपुर
107		प्रतापगढ़
108		उदयपुर
109		सीकर
110		जोधपुर (ग्रामीण)
111		केकड़ी
112		सांचोर
113		चितौड़गढ़
114	सिक्किम	नामची
115		पेकाँग
116	तमिलनाडु	शिवगंगा
117		मदुरै
118		नागपट्टिनम
119		थिरुवरुर
120		रामनाथपुरम
121		तिरुनेलवेली
122		विरुधुनगर
123	त्रिपुरा	गोमती
124	उत्तर प्रदेश	उन्नाव
125		आगरा
126		मथुरा
127		बलिया
128		बाँदा
129		फिरोजाबाद
130		प्रयागराज
131		सोनभद्र
132		चित्रकूट
133	उत्तराखंड	पिथौरागढ़
134	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग
135		बांकुड़ा
136		पुरुलिया
137		हावड़ा
138		मालदा
139		दक्षिण 24 परगना
140		नादिया